ईएमआरएस को सीआईएल से 10 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने **छत्तीसगढ़** में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) को समर्थन देने के लिये कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य **जनजातीय छात्रों** की **शिक्षा** में सुधार करना है।

मुख्य बिंदु

साझेदारी के बारे में:

- **CIL** छत्तीसगढ़ में 68 **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)** को सहायता प्रदान करेगी, जिससे 28,000 से अधिक जनजातीय छात्र लाभान्वित होंगे।
- **CIL** की कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) पहल के तहत कुल **10 करोड़ रुपए** मंज़ूर किये गए हैं।
- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत सरकार के प्रयासों के अनुरूप है, जो समाज के सभी वर्गों के लिये समान और समावेशी शैक्षिक अवसरों पर केंद्रित है।
- इस व्यापक हस्तक्षेप के उद्देश्य है:
    - शैक्षिक अंतराल को पाटना
    - करियर की तैयारी और उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देना
    - आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिये जनजातीय युवाओं को आवश्यक उपकरणों से सशक्त बनाना
    - EMRS में आधुनिक और नवीन शिक्षण वातावरण का निर्माण करना
- **प्रमुख हस्तक्षेप**
    - **डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा**: कंप्यूटर लैब की स्थापना और छात्रों के लिये लगभग 3,200 कंप्यूटर तथा 300 टैबलेट का क्रय
    - **छात्राओं के लिये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता**: स्कूलों और छात्रावासों में लगभग 1,200 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और 1,200 भस्मक मशीनें स्थापित की जाएंगी
    - **छात्रों के लिये व्यापक मेंटरशिप**: छात्रों को शैक्षणिक और व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देने के लिये संरचित मेंटरशिप कार्यक्रम
    - **आवासीय उद्यमशीलता बूट कैंप**: उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने के लिये IIT, IIM और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में बूट कैंप का आयोजन
- **कार्यान्वयन**: इस परियोजना को जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के बारे में

- **EMRS: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)** जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) द्वारा **वर्ष 1998** में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य दूरदराज़ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को कक्षा 6वीं से 12वीं** तक निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है।
- **उद्देश्य:** खेल, संस्कृति और कौशल प्रशिक्षण सहित **समग्र विकास** के साथ एकीकृत **CBSE-आधारित निर्देश** प्रदान करके **आदिवासी और गैर-आदिवासी आबादी** के बीच शैक्षिक अंतर को कम करना।
    - **पुनर्गठन और विस्तार**: इस योजना को **वर्ष 2018–19 में पुनर्गठित** किया गया ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। अब EMRS उन ब्लॉकों में स्थापित किये जा रहे हैं, जहाँ **50% से अधिक ST आबादी** है और **कम-से-कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति** रहते हैं। इसका लक्ष्य **वर्ष 2026 तक 728 स्कूलों** की स्थापना करना है।
- **शासन व्यवस्था**: इन विद्यालयों का संचालन राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) द्वारा किया जाता है, जो कि MoTA के अंतर्गत एक **स्वायत्त संस्था** है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - ये विद्यालय **सहशैक्षिक और पूर्णतः आवासीय** होते हैं, जिन्हें **नवोदय विद्यालयों के तर्ज** पर जनजातीय समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए स्थापित किया गया है।
    - ये **CBSE पाठ्यक्रम** का पालन करते हैं और छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ **सभी मूलभूत सुविधाएँ** प्रदान करते हैं।

- **बुनियादी ढाँचा** में कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, खेल के मैदान और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये स्थान शामिल होते हैं।
- प्रत्येक विद्यालय की क्षमता **480 छात्रों** की होती है, जिसमें **लैंगिक समानता** सुनिश्चित की जाती है।
- **10% तक सीटें** गैर-जनजातीय (non-ST) छात्रों को आवंटित की जा सकती हैं।
- **खेल कोटा के अंतर्गत 20% आरक्षण** एथलेटिक्स और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले **मेधावी ST छात्रों** के लिये निर्धारित है।

- **जनजातीय शिक्षा हेतु अन्य पहल**

  - राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (RGNF)
  - व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
  - राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना
  - पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

कोल इंडिया लिमिटेड

- **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)**, नवंबर 1975 में स्थापित एक **सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन निगम** है, जिसे **महारत्न कंपनी** का दर्जा प्राप्त है।
- यह **विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी** है, जो **भारत के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में लगभग 80% का योगदान** देती है।
- CIL की सहायक कंपनी **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL)**, **गेवरा (छत्तीसगढ़)** में **एशिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदान** का संचालन करती है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** से तात्पर्य समाज और पर्यावरण के प्रति कंपनी की ज़िम्मेदारी से है।
- यह एक **स्व-विनियमन मॉडल** है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय कल्याण पर अपने प्रभाव के लिये **ज़वाबदेह** बने रहें।
- **कानूनी ढाँचा**: भारत पहला देश है, जिसने **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 135 के तहत CSR व्यय को **अनिवार्य** बनाया है, जो पात्र गतिविधियों के लिये एक **संरचित ढाँचा** प्रदान करता है।
- **प्रयोज्यता**: CSR नियम उन कंपनियों पर लागू होते हैं, जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में **निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपए** से अधिक हो या **कारोबार 1,000 करोड़ रुपए** से अधिक हो या **शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए** से अधिक हो।
- ऐसी कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों (या यदि नई निगमित हुई हैं तो उपलब्ध वर्षों) के अपने **औसत शुद्ध लाभ** का **कम-से-कम 2%** CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/emrs-to-receive-indian-rupee10-crore-boost-from-cil